न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

————————

अपील संख्या :– 58/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. छाजूराम पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी ग्राम हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:----- वादी अपीलांट

बनाम

1 कन्हैयालाल पुत्र ओमकार जाति माली निवासी हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

2 प्रभूदयाल पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी हरसौरा

3 बहादर पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:–– असल प्रतिवादीगण रेस्पो0

4 तहसीलदार, बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर

5 प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हरसौरा तहसील बानसूर

:---- तरतीबी प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बानसूर दिनांक 17.5.2018

————————————————————

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दाताराम गुप्ता

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री राजेश कुमार गुप्ता

निर्णय दिनांक - 17.06.2019

———— ————————

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2012 में पारित निर्णय दिनांक 17.5.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट अंतिम रूप से डिक्री किया गया है ।

2 विद्वान वकील वादी अपीलांट ने निवेदन किया है कि मैंने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी हाल खसरा नम्बर 733/0.44, 743/0.37, 735/0.04, 736/0.03, 737/0.22, 738/0.14, 739/0.37, 740/0.32 हेक्टयर वाके ग्राम हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर में वादी का 1/3 हिस्सा है व असल प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/3, 1/3 हिस्सा है । अतः वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुये विवादित आराजी को तकसीम किया जावे । तहत न्यायालय ने मेरा वाद अंतिम रूप से डिक्री तो कर दिया, परन्तु उक्त डिक्री रिकार्ड एवं मौके अनुसार पारित नहीं की गई है । बहुत छोटे छोटे टुकडे करते हुये करीब 23 टुकडों में आराजी विभाजित कर दी गई है । मैंने तहत न्यायालय में ऐतराज भी प्रस्तुत किये थे, परन्तु उन पर कोई गौर नहीं किया । जितना हिस्सा पक्षकारान का रिकार्ड में बनता है, उसके अनुसार तकासमा नहीं किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि पक्षकारान की सहमति से ही डिक्री पारित की गई है । इसलिये अब इनको अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । मौके और रिकार्ड अनुसार तकासमा किया गया है । बटवारा नियमो के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना की गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट का मुख्य ऐतराज यही है कि तकासमा मौके और रिकार्ड अनुसार नहीं किया गया है । आराजी को छोटे छोटे टुकडो में विभाजित कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में हमने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । इनके अवलोकन से सिद्ध है कि तकासमा डिक्री मौके और रिकार्ड अनुसार पारित नहीं की गई है । उदाहरणार्थ वादी को डिक्री में खसरा नम्बर किता 8 रकबा 62 एयर दिया गया है, जबकि उसका वास्तविक रकबा 59 एयर है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 को खसरा किता 7 रकबा 62 एयर दिया गया है, जबकि उसका वास्तविक रकबा 61 एयर है । प्रतिवादी संख्या 02 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

खसरा किता 07 रकबा 62 एयर दिया गया है, जबकि वास्तविक रकबा 60 एयर है । इस प्रकार स्पष्ट है कि मौके और रिकार्ड अनुसार बंटवारा नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त वादी की नक्शे कुरेजात तैयारी के समय सहमति नहीं थी, ना ही नक्शे कुरेजात पर हस्ताक्षर किये हैं । वादी अपनी आराजीयात के छोटे छोटे टुकडे नहीं करवाना चाहता है । कुछ आराजीयात को सम्पूर्ण हिस्सेवार रखना चाहता है । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17.5.2018 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो उभयपक्ष की मौजूदगी में स्वयं तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाकर मंगवाये । तत्पश्चात मौके और रिकार्ड अनुसार तकासमा की डिक्री पारित की जावे । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अगर कोई पक्षकार अपना ऐतराज प्रस्तुत करता है तो सर्वप्रथम उस ऐतराज प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें । उभयपक्ष दिनांक 13/8/2019 को वास्ते सुनवाई उपस्थित हों ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner